संख्याः 1452 /XXX(2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 21 जुलाई, 2005

विषयः लोक सेवा आयोग से सेवा सम्बन्धी मामलों में परामर्श से सम्बन्धित मार्ग दर्शक सिद्धान्त ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य लोक सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाएं आयोजित करना है । इसके साथ ही साथ आयोग द्वारा भर्ती के सम्बन्ध में परामर्श देना, प्रोन्नति हेतु चयन आयोजित करना, सेवा नियमों की रचना में परामर्श देना, अनुशासनिक कार्यवाहियों के संबंध में राय देना आदि कार्य भी किये जाते हैं । लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 में सेवाओं एवं पदों के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग से परामर्श के प्राविधान किये गये है । उसी को दृष्टिगत रखते हुए लोक सेवा आयोग से परामर्श के सम्बन्ध में निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये जा रहे हैः–

नियुक्ति एवं प्रोन्नति संबंधी मामलों में परामर्श की व्यवस्थाः–

(1) यदि किसी पद के नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं तब वह पद स्वतः आयोग की परिधि में आ जायेगा और उस पर नियुक्ति आयोग के परामर्श से ही की जायेगी । यदि शासन चाहे तब आयोग के परामर्श से ऐसे पद भी उनकी परिधि में डाल सकते हैं जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल नहीं हैं अथवा ऐसे पद उनकी परिधि से निकाल सकते हैं जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं ।

(2) यदि राज्य सेवा या अधीनस्थ सेवा के किसी अधिकारी की नियुक्ति उसके संवर्ग के बाहर के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाती है तब ऐसी नियुक्ति के लिए आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है ।

G.O./H.K

(3) तदर्थ नियुक्तियों/प्रोन्नतियों के विनियमितीकरण नियमावली के तहत् तदर्थ नियुक्तियों/प्रोन्नतियों के विनियमितीकरण के पूर्व लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है, भले ही संबंधित पद अन्यथा आयोग की परिधि में हों ।

(4) अस्थायी अथवा स्थानापन्न नियुक्तियां, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए ही की जायं, उनके सम्बन्ध में आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, भले ही पद अन्यथा आयोग की परिधि में हो । परन्तु इन नियुक्तियों को एक वर्ष के बाद तभी चलाया जा सकता है जब आयोग का परामर्श प्राप्त कर लिया गया हो ।

(5) आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर एक वर्ष के लिये पुनर्नियुक्ति देने में आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है ।

(6) यदि एक ही सेवा में एक वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा पद भरा जाना हो तब आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है । यदि भर्ती के दो स्रोत हैं और सीधी भर्ती आयोग के परामर्श से की जाती हो तब पदोन्नति भी आयोग के परामर्श से की जायेगी ।

(7) राज्य के पुलिस बल के अधीनस्थ पदों पर भर्ती के लिए आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है ।

स्थानान्तरण के मामले में परामर्श की व्यवस्थाः–

(1) एक ही सेवा में एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण में आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है ।

(2) यदि कोई सेवा कई उपवर्गो में विभाजित है, तथा एक उपवर्ग से ऐसे दूसरे उपवर्ग में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की जाती है जिसके पद आयोग की परिधि में हैं, तब ऐसे उपवर्ग में स्थानान्तरण से नियुक्ति के लिए आयोग के परामर्श की आवश्यकता होगी ।

अनुशासनिक कार्यवाही में दण्ड देते समय आयोग के परामर्श की व्यवस्थाः–

(1) यदि राज्यपाल द्वारा :–

(अ) समय वेतनमान के किसी प्रक्रम पर वेतनवृद्धि रोकना ।

(ब) निचले पद पर या वेतनमान के निचले स्तर पर प्रत्यावर्तन का दण्ड ।

(स) सरकार को हुई आर्थिक हानि की पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से वेतन या पेन्शन से वसूली का दण्ड ।

(द) सेवा से हटाया जाना ।

(य) सेवा से पदच्युत किया जाना ।

(र) पेंशन की धनराशि में कटौती या उसे रोकने का दण्ड, के आदेश दिये जाते हैं तब आयोग के परामर्श की आवश्यकता होगी ।

परन्तु यदि आयोग ने पूर्व में ही किसी स्तर पर प्रस्तावित दण्ड आदेश के संबंध में अपना परामर्श दे दिया है तब अंतिम आदेश राज्यपाल द्वारा पारित करने से पूर्व आयोग के

परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते पूर्व स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है या कोई नये तथ्य नहीं आये हों ।

यदि राज्यपाल दण्डादेश पारित करने के बजाय अधीनस्थ अधिकारी के आदेश से असहमत होते हुए नये सिरे से या किसी स्तर से अन्य का आदेश देते हैं तब इसमें आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी ।

(2) यदि अपील का प्रावधान है, तब राज्यपाल द्वारा अपील स्तर पर दण्ड के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय के पूर्व आयोग का परामर्श आवश्यक होगा ।

(3) यदि राज्यपाल द्वारा निलम्बन का आदेश दिया जाता है तब आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निलम्बन को दण्ड की श्रेणी में नहीं रखा गया है ।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि के उपरान्त किसी कार्मिक को सेवामुक्त करने का निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है तब इसके लिए भी आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसे सेवा से रिमूवल या डिस्मिसल नहीं माना जाता है ।

(5) अस्थायी कार्मिक की सेवाएं एक माह की नोटिस देकर या नोटिस के बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त करने के राज्यपाल के निर्णय के परिपेक्ष्य में आयोग का परामर्श अपेक्षित नहीं होगा, क्योंकि इस आदेश में दण्ड का उल्लेख नहीं रहता है ।

(6) यदि आयोग के परामर्श से राज्यपाल द्वारा किसी अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया गया है , और राज्यपाल उस अधिकारी के मेमोरियल पर पूर्व पारित आदेश से भिन्न आदेश पारित करने को तत्पर होते हैं तब इस दशा में आयोग के पुनः परामर्श की आवश्यकता होगी ।

आयोग के परामर्श से भिन्न निर्णय लेने की प्रकिया :

चूँकि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अतः शासन उनके परामर्श को महत्व देता है और सामान्यतया आयोग के परामर्शानुसार ही निर्णय लिए जाने की प्रथा है । अपवादिक स्थिति में यदि शासन आयोग की संस्तुति से विपरीत निर्णय लेना अपेक्षित समझता है तब उसकी निम्न प्रकिया होगी ।

यदि शासन आयोग के मत से सहमत न हो तब नियमतः वह आयोग को मामले पर पुनः विचार करने के लिए भेजेंगे जिसमें अपने अन्तिम विनिश्चय की स्वीकृति देने के कारणों का उल्लेख होगा । यदि आयोग पुनः शासन के विनिश्चय से असहमति व्यक्त करते हैं और शासन पुनः उस पर विचार कर अपने पूर्व विनिश्चय को कार्यान्वित करने का निर्णय लेता है तब उक्त विनिश्चय का अनुमोदन मंत्रि परिषद से लिया जाना होगा । मंत्रि परिषद को आयोग के परामर्श से हटकर निर्णय लेने हेतु कारणें एवं तर्को से सन्तुष्ट करना होगा ।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

संख्याः 1452(1)/XXX(2)/2005, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित अपर सचिव ।

G.O./H.K

2. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव ।

G.O/H.K